भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1844**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी उर्वरक की कमी

1844. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू कृषि मौसम के दौरान राज्यों को डीएपी उर्वरक की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता है तथा सरकार द्वारा कितनी मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति की गई है;
(ख) कितने राज्यों में डीएपी उर्वरक की आधिकारिक रूप से कमी होने की सूचना मिली है और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) पर्याप्त उत्पादन तथा आयात के दावों के बावजूद उर्वरकों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने में विफलता के क्या कारण हैं; और
(घ) पिछले पांच वर्षों में डीएपी उर्वरक के लिए कुल कितनी सब्सिडी प्रदान की गई है तथा कई क्षेत्रों में किसानों को अभी भी इसकी अत्यधिक कीमतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): चालू रबी मौसम 2024-25 के दौरान देश के राज्यों में डीएपी की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में विवरण **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

इसके अलावा, देश में सरकार द्वारा उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम के लिए आयात को भी पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है।

(घ): भारत सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के लिए उचित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि पीएण्डके उर्वरक किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। तदनुसार, डीएपी के लिए 3100 रुपये प्रति बोरी की लागत के स्थान पर यह किसानों को 1350 रुपये प्रति बोरी के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान किया जाता है।

पिछले 5 वर्षों में एनबीएस स्कीम (डीएपी इस स्कीम के तहत एक घटक है) के तहत कुल सब्सिडी (करोड़ में) नीचे दी गई है:-

वर्ष	**अनुमानित वास्तविक व्यय**
2019-20	26,368
2020-21	37,372
2021-22	52,770
2022-23	86,122
2023-24	65,199

****

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक 06.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.1844 के उत्तर के भाग (क) से (ग) से संबंधित है।

चालू रबी 2024-25 (02.12.2024 तक) के दौरान डीएपी की आवश्यकता, उपलब्धता, खपत और अंतिम स्टॉक					
					आंकडे एलएमटी में
		डीएपी			
क्रम.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	खपत	अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.82	1.54	0.98	0.58
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.12	0.26	0.15	0.11
5	बिहार	1.80	2.28	1.62	0.69
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	0.46	0.48	0.18	0.31
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.03	0.02	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	1.82	2.18	1.81	0.38
13	हरियाणा	2.26	2.44	2.27	0.17
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.02	0.01	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	0.07	0.20	0.08	0.12
16	झारखंड	0.16	0.32	0.15	0.17
17	कर्नाटक	0.69	1.12	0.62	0.51
18	केरल	0.02	0.06	0.06	0.01
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	5.83	5.09	3.90	1.19
21	महाराष्ट्र	0.80	1.79	0.94	0.85
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.13	0.40	0.15	0.25
27	पुदुचेरी	0.00	0.01	0.00	0.00
28	पंजाब	4.26	3.48	3.01	0.46
29	राजस्थान	2.80	2.99	2.59	0.42
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	0.67	1.09	0.69	0.41
32	तेलंगाना	0.62	0.79	0.42	0.37
33	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
34	उत्तराखंड	0.11	0.25	0.16	0.10
35	उत्तर प्रदेश	11.15	10.03	8.26	1.78
36	पश्चिम बंगाल	0.70	1.04	0.64	0.44
	संपूर्ण भारत	**35.29**	**37.89**	**28.71**	**9.33**

*** ****